न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 83/2019

1 कृष्ण कुमार पुत्र गदिया।
2 रघुवीर पुत्र गदिया।
3 रामसिंह पुत्र गदिया।
4 राकेश पुत्र गरिमा समस्त जाति अहिर निवासीगण ढ़ाणी झेल्डा तन सिहोड़ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 धुड़ाराम पुत्र मेदाराम।
2 नानचाराम पुत्र मेदाराम।
3 जगदीश प्रसाद पुत्र मेदाराम।
4 प्रहलाद पुत्र मेदाराम।
5 छोटी देवी पत्नी भगवानाराम।
6 अरविन्द पुत्र भगवानाराम समस्त जाति अहिर निवासीगण ढ़ाणी झेल्ड़ा तन सिहोड़ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
7 सुमन पुत्री भगवानाराम पत्नी महेन्द्र जाति अहिर निवासी पालम गुड़गांव हरियाणा।
8 मन्जु पुत्री भगवानाराम पत्नी हरवेन्द्र।
9 प्रेम पुत्री भगवानाराम पत्नी धर्मेन्द्र समस्त जाति अहिर निवासीगण शिमला तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
10 माली देवी पत्नी गोकलराम।
11 प्रवीन कुमार पुत्र गोकलराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

12 बाबूलाल पुत्र गोकलराम समस्त जाति अहिर निवासीगण ढ़ाणी जेल्डा तन सिहोड़ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
13 शिशराम पुत्र गोकलराम जाति अहिर निवासी प्लॉट नम्बर 141 मित्र नगर बैनाड़ रोड़ जयपुर। .
14 राजेन्द्र कुमार पुत्र गोकलराम आति अहीर हाल आबाद मकान नम्बर 31 गली नम्बर 13 कैलाश नगर झोटवाड़ा जयपुर।
15 गीता पुत्री गोकलराम पत्नी नरसीराम जाति अहीर निवासी पुहानिया तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
16 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बसई जरिये शाखा प्रबन्धक।
17 इण्डियन ऑवरसिज बैंक शाखा मेहाड़ा जाटूवास जरिये शाखा प्रबन्धक।
18 इण्डियन ऑवरसिज बैंक शाखा कोलिहान नगर जरिये शाखा प्रबन्धक।
19 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार खेतड़ी।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर खेतड़ी उनवानी मुकदमा कृष्ण कुमार ब्नाम धूड़ाराम आदि अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा नम्बर 39/2018 आदेश दिनांक 07.11.19

उपस्थिति :

1. श्री सुभाषचन्द्र, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

3

—निर्णय—

दिनांकः—30-1-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 39/2018 में पारित निर्णय दिनांक 07.11.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वाके ग्राम सिहोड़ पटवार हल्का सिहोड़ तहसील खेतड़ी स्थित जमाबंदी संवत 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 48 के खसरा नम्बर 323 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 338 रकबा 0.71 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 339 रकबा 0.86 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 340 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 341 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 342 रकबा 1.97 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 344 रकबाब 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 345 रकबा 1.06 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 5.35 हैक्टेयर के प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उक्त वाद वर्णित भूमि में प्रार्थीगण का 1/4हिस्सा है तथा शेष हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत15 का है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने उक्त वाद वर्णित भूमि का काश्त की सुविधा के लिए बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा अपने—अपने हिस्से पर काबिज काश्त है परन्तु वाद वर्णित भूमि का अभी तक विधिवत रूप से खाता विभाजन नहीं हुआ है। प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि का विकास करना चाहते है लेकिन उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से प्रार्थीगण को अपने हिस्से की भूमि का विकास करने सुधार कार्य करने व ऋण आदि लेने में भारी परेशानी होती है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 को प्रार्थीगण के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि में बाधा पहुंचाने व काश्त करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 प्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि काश्त करने में किसी प्रकार की बाधा पैदा करते है व प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा कर लेते है एवं निर्माण आदि करते है तो प्रार्थीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (राजस्थान)

जा सकेगा। प्रार्थीगण का यह प्रथम दृष्टया मामला है व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम सिहोड़ पटवार हल्का सिहोड़ तहसील खेतड़ी स्थित जमाबंदी संवत 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 48 के सिहोड़ तहसील खेतड़ी स्थित जमाबंदी संवत 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 48 के खसरा नम्बर 323 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 338 रकबा 0.71 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 339 रकबा 0.86 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 340 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 341 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 342 रकबा 1.97 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 344 रकाब 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बरब 345 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 5.35 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के 1/4 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दख्लंदाजी ना करे व प्रार्थीगण को काश्त करने में कोई रूकावत पैदा ना करें, प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर कब्जा ना करें तथा किसी प्रकार का कच्चा या पुख्ता निर्माण आदि नहीं करें व निर्माण सामग्री नहीं डाले। ऐसा कृत्य ना तो स्वयं करें व न ही अपने परिजनों एवं अन्य किसी से करवायें। विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि सहकाश्तकारी सहखातेदारी में दर्ज है। विभाजन में समय लगना है। इससे पूर्व हिस्सा विशेष पर निर्माण कार्य से रोका जाना विधि सम्मत है। विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा इसी आधार पर स्थगन चाहा गया है। विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अपील स्वीकार कर ताफैसला वाद स्थगन जारी किया जावें। विद्वान अधिवक्ता न अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2018(2) पेज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

1370, आर.आर.टी. 2018(2) पेज 1140, आर.आर.टी. 2021(1) पेज 333 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के सन्दर्भ में खातेदारी, रिकार्ड व हिस्से का विवाद नही है। पक्षकारों के मध्य बाहमी विभाजन हो चुका है। बाहमी विभाजन के अनुसार पक्षकार अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। अपीलांट का भी आवेदन में यह कथन रहा है। बाहमी बंटवारा होने पर रिकार्डेड खातेदार को पाबन्द नही किया जा सकता है। अपीलांट ने यह स्पष्ट नही किया है कि रेस्पोडेंट किस खसरा नम्बर पर निर्माण करने पर आमादा है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत तथ्यों का विवेचन कर आवेदन खारिज किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 2016 पेज 232, आर.आर.टी. 2006(1) पेज 623 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 48 खसरा नम्बर 323,338,339, 340,341,342,344,345 कुल किता 8 कुल रकबा 5.35 हैक्टेयर भूमि में गोकलराम पुत्र मेहदा हिस्सा 1/8 प्रहलाद पुत्र मेदाराम हिस्सा 1/8 भगवानाराम नानचाराम पिता मेदाराम हिस्सा 1/4 राहिन रा.ग्रा.बैं शाखा बसई जगदीश प्रसाद पिता मेदाराम हिस्सा 1/8 राहिन आई.ओ.बी. शाखा मेहाड़ा जाटूवास कौशल्या पत्नी गदिया कृष्ण रघुवीर रामसिंह राकेश पिता गदिया हिस्सा 1/4 धुडाराम पिता मेदाराम हिस्सा 1/8 जाति अहीर सा. देह खातेदारी दर्ज रिकार्ड है उक्त जमाबंदी में लगे नोट नामान्तकरण संख्या 1041 दिनांक 28.06.2016 जरिये विरासत भगवाना पुत्र मेदाराम फौत के स्थान पर छोटी देवी पत्नी भगवानाराम अरविन्द पुत्र भगवानाराम सुमन, मन्जू, प्रेम पुत्रियां भगवानाराम हिस्सा 1/8 राहिन रा.ग्रा. बैंक शाखा बसई मूर्तहीन नामान्तकरण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

संख्या 1065 दिनांक 20.03.2017 जरिये विरासतन गोकलराम पिता मेदाराम हिस्सा 3/24 फौत के स्थान पर माली देवी पत्नी गोकलरम प्रवीण कुमार, शीशराम, बाबूलाल, राजेन्द्र कुमार पिता गोकलराम हिस्सा 3/24 जाति अहीर नामान्तकरण संख्या 1110 दिनांक 14.04.2018 जरिये विरासतन कौशल्या पत्नी गदिया हिस्सा 1/20 जाति अहीर के स्थान पर कृष्ण रघुवीर, रामसिंह, राकेश पिता गदिया हिस्सा 1/20 जाति अहीर बाकी अंकन बदस्तूर जमाबंदी स्वीकार दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका अभी तक विधिवत खाता विभाजन नहीं हुआ है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का राजस्व रिकार्ड के मुताबिक 1/20 हिस्सा ही कब्जा काश्त है किन्तु प्रार्थी अपीलांट ने अपने आवेदन की मद संख्या 3 में स्पष्ट अंकन किया है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने उक्त वाद वर्णित भूमि का काश्त की सुविधा के लिए बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30-1-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर